© 1998 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित तथा प्रबंधक, फोटोलिथो यूनिट, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।

7

सी॰बी॰ - II - सं॰ 434

लोक सभा

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

(9-12-98 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया)
(9-12-98 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया)

सत्यमेव जयते

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

दिसम्बर, 1998/अग्रहायण, 1920 (शक)
मूल्य: 18.00 रुपये

H22

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998 संबंधी

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का शुद्धिपत्र

......

पृष्ठ	पैरा	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ा जाए
(i)		9	के	को
(iii)		13	श्री एस॰ मुरूगेसन	श्री एस॰ मुरूगेसन
(iii)		29	श्री एम॰ शंकरालिंगम	श्री एम॰ शंकरलिंगम
(v)	7	3	"समिति ने" शब्द के बाद "संबंधित राज्य सरकारों" शब्द जोड़ा जाए ।	
(v)	8	2	"दौरा किया तथा" के बाद "26 से 31 अक्तूबर, 1998 तक" का लोप किया जाए ।	
(v)	9	4	"जैसे कि" के बाद (एक) शब्द जोड़ा जाए ।	
(v)	10	2	"समिति की" के बाद "पाँचवीं" शब्द जोड़ा जाए।	
-	-	3	चालू सत्र के बाद (अर्थात् शीतकालीन सत्र, 1998) जोड़ा जाए ।	
1	2	1	पैरा 2 से पहले "1955 का 10" शब्द प्रतिस्थापित करें ।	
-	-	5	के	से
8		2	दूसरी पंक्ति के सामने दाईं ओर "1971 का 66" शब्द प्रतिस्थापित करें ।	
10		3(नीचे से)	श्री अशोक मित्र	श्री अशोक मित्रा
27		3	"मंचों के" बाद "लिए" शब्द का लोप किया जाए	
29		14	परो0 अजीत कुमार मेहता	प्रो॰ अजीत कुमार मेहता
29		7(नीचे से)	परिषद	परामर्शदाता
36			ऊपर दायीं ओर "अनुबंध" शब्द जोड़ा जाए ।	
36		3	1·2·98	1·12·98
36		6	4·12·98	3·12·98

H22

विषय सूची

पृष्ठ

संयुक्त समिति की रचना ... (iii)

1. संयुक्त समिति की रचना ... (iii)
2. संयुक्त समिति का प्रतिवेदन ... (v)
3. विधेयक ... 1

परिशिष्ट

एक. संयुक्त समिति को विधेयक सौंपने हेतु लोक सभा में प्रस्ताव ... 9
दो. राज्य सभा में प्रस्ताव ... 10
तीन. उन संघों/संगठनों, व्यक्तियों आदि की सूची जिनसे संयुक्त समिति के ज्ञापन प्राप्त हुए ... 11
चार. संयुक्त समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य देने वाले साक्षियों की सूची ... 25
पांच. संयुक्त समिति के कार्यवाही सारांश ... 26

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998 संबंधी संयुक्त समिति

समिति की रचना

श्री श्याम बिहारी मिश्र—**सभापति**

लोक सभा

2. श्री अमरीक सिंह आलीवाल
3. श्री एन० डेनिस
4. श्री अब्दुल गफूर
5. श्री सत्य पाल जैन
6. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल
7. श्री भुवनेश्वर कालिता
8. श्री विजय कुमार खंडेलवाल
9. प्रो० अजित कुमार मेहता
10. श्री एस० मुरूगैसन
11. श्री अजित कुमार पांजा
12. श्री हरिन पाठक
13. श्रीमती सूर्यकांता पाटील
14. प्रो० ए० के० प्रेमाजम
15. श्री एम० राजैया
16. श्री कोनिजेटी रोसैया
17. श्री किशन सिंह सांगवान
18. श्री मोहन सिंह
19. श्री के० डी० सुल्तानपुरी
20. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी

राज्य सभा

21. श्री संघ प्रिय गौतम
22. श्री वेद प्रकाश पी० गोयल
23. श्री आदिक शिरोडकर
24. श्री भुवनेश चतुर्वेदी
25. श्री एम० शंकरालिंगम
26. श्री गुफरान आजम
27. कुमारी निर्मला देशपांडे
28. श्री बरजिंदर सिंह हमदर्द
29. श्री अशोक मित्रा
30. श्री गया सिंह

सचिवालय

1. श्री जी० सी० मल्होत्रा — **अपर सचिव**
2. श्री राम अवतार राम — **निदेशक**
3. श्री बी० डी० स्वैन — **अवर सचिव**

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री एन० एन० मुखर्जी — सचिव
2. श्री कमल किशोर — आर्थिक सलाहकार
3. श्री जतिन्दरबीर सिंह — निदेशक
4. श्री के० वी० एस० राव — अवर सचिव

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री टी० के० विश्वनाथन — अपर सचिव
2. श्री एन० एल० मीणा — अपर विधायी सलाहकार

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998 संबंधी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

मैं, संयुक्त समिति का सभापति, जिसे यह विधेयक अर्थात् आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998 सौंपा गया था, समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किए जाने पर यह प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. यह विधेयक 29 मई, 1998 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति को इस विधेयक को प्रेषित किए जाने के लिए प्रस्ताव श्री सुरजीत सिंह बरनाला, खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री, द्वारा 9 जुलाई, 1998 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था। (परिशिष्ट - एक)

3*. राज्य सभा ने 21 जुलाई, 1998 को उक्त प्रस्ताव को अपनी सहमति दी। (परिशिष्ट - दो)

4*. राज्य सभा से संदेश लोक सभा समाचार में 22 जुलाई, 1998 को, प्रकाशित किए गए थे।

समिति के सभापति की नियुक्ति 6 अगस्त, 1998 को हुई थी।

5. अब तक समिति की छः बैठकें हुई हैं।

6. समिति ने 28 अगस्त, 1998 को हुई अपनी पहली बैठक में विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर एक सामान्य चर्चा की तथा अपने भावी कार्यों के लिए योजना तैयार की। समिति ने जानकारी प्राप्त करने हेतु अपनी अगली बैठक में खाद्य तथा उपभोक्ता मामले मंत्रालय को आमंत्रित करने का निर्णय लिया। समिति ने विधेयक के विभिन्न उपबंधों के बारे में विभिन्न उपभोक्ता मंचों, व्यापारी संघों इत्यादि के विचार सुनने का निर्णय भी लिया। विधेयक के विभिन्न उपबंधों के बारे में उपभोक्ता मंचों/व्यापारी संघों/राज्य सरकारों इत्यादि के विचार जानने हेतु एक प्रश्नावली तैयार करके उन्हें भेजने का निर्णय भी लिया गया। समिति ने विभिन्न राज्यों की राजधानियों में उपभोक्ता/व्यापारी संघों/बार एसोसिएशनों और राज्य सरकारों के अधिकारियों इत्यादि के साथ अनौपचारिक विचार-विमर्श करने के लिए अध्ययन दौरे करने का निर्णय भी लिया।

7. समिति ने 22.9.1998 को हुई अपनी दूसरी बैठक में आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998 के विभिन्न उपबंधों के बारे में खाद्य तथा उपभोक्ता मामले मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। मंत्रालय को भेजी गई प्रश्नावली के संबंध में उनके द्वारा भेजे गए उत्तरों पर चर्चा की गई। समिति ने व्यापार संघों, उपभोक्ता मंचों तथा उद्योगपतियों इत्यादि के विचार जानने हेतु 26 से 31 अक्तूबर, 1998 तक मुम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद तथा बंगलौर का अध्ययन दौरा करने का निर्णय लिया।

8. समिति ने 5.10.1998 को हुई अपनी तीसरी बैठक में दिल्ली बुलाए गए व्यापारी संघों के विचार सुने। तत्पश्चात् समिति ने 26 से 31 अक्तूबर, 1998 तक मुम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद और बंगलौर का अध्ययन दौरा किया तथा 26 से 31 अक्तूबर, 1998 तक आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998 के विभिन्न उपबंधों पर विभिन्न व्यापारी संघों/उपभोक्ता मंचों/उद्योगपतियों/विभिन्न व्यक्तियों/बार एसोसिशनों तथा विभिन्न राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ अनौपचारिक चर्चा की।

9. समिति ने 26.11.1998 को हुई अपनी चौथी बैठक में विधेयक के विभिन्न उपबंधों के बारे में दिल्ली स्थित कुछ इच्छुक व्यापारी संघों/गैर-सरकारी संगठनों के विचार सुने। समिति ने महसूस किया कि उनके लिए अगले सत्र (शीतकालीन सत्र, 1998) के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन तक अपना कार्य पूरा कर पाना संभव नहीं होगा क्योंकि अभी उन्हें विभिन्न संगठनों/व्यक्तियों से प्राप्त ज्ञापनों पर विचार करना है तथा विभिन्न चरणों जैसे कि विधेयक के उपबंधों के बारे में सदस्यों/सरकार से प्राप्त होने वाली संशोधन संबंधी सूचनाओं पर विचार करना; (दो) विधेयक पर खण्ड-वार विचार करना; (तीन) प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करना तथा उसे स्वीकृत करना; (चार) प्रतिवेदन को अंतिम रूप प्रदान किए जाने के बाद सदस्यों द्वारा किए गए विगत टिप्पण, यदि कोई हो, को संलग्न करना आदि कार्य पूरा करने हैं। अतः समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए समयावधि को 1999 के बजट सत्र के भाग-एक के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन तक बढ़ाने की मांग करने का निर्णय लिया।

10. समिति ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा माननीय अध्यक्ष को लिखे एक पत्र, जिसमें यह अनुरोध किया गया कि वे संयुक्त समिति के सभापति को इस बात के लिए राजी करें कि वह इस प्रतिवेदन को आगामी सत्र में प्रस्तुत करें, को 1.12.1998 को हुई समिति की बैठक में चर्चा के लिए रखे। मामले की महत्ता को देखते हुए समिति ने मामले को अंतिम रूप देने और चालू सत्र की समाप्ति के पूर्व अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्णय लिया।

11. तदनुसार शीतकालीन सत्र 1998 के अन्त तक समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिये समय बढ़ाये जाने हेतु 4.12.98 को

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण भाग - दो, खंड-2, दिनांक 29.5.98 में प्रकाशित

सभा में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तथापि, मामले की तात्कालिक आवश्यकता तथा सदस्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए सभा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु 9 दिसम्बर, 1998 तक का समय बढ़ाने के लिये सहमत हो गयी।

12. समिति को विभिन्न संघों/संगठनों तथा व्यक्तियों आदि के 139 ज्ञापन प्राप्त हुए जिनमें विधेयक के उपबंधों के संबंध में उनकी टिप्पणियां/सुझाव दिये गये थे (परिशिष्ट-तीन)।

13. जिन व्यक्तियों ने समिति के समक्ष साक्ष्य दिया था उनकी सूची परिशिष्ट-चार में है।

14. समिति ने 7.12.98 को हुई अपनी बैठक में निर्णय किया कि समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य को संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखा जाये; और (दो) प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के पश्चात्, समिति को प्राप्त ज्ञापनों की दो-दो प्रतियां संसद सदस्यों के संदर्भ हेतु संसद ग्रंथालय में रखी जायें।

15. विधेयक में प्रस्तावित मुख्य परिवर्तनों के संबंध में समिति की टिप्पणियां अनुवर्ती पैराओं में विस्तार से दी गयी हैं।

16. समिति ने नोट किया है कि सभा ने अपनी 4.12.1998 की बैठक में 1998 के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन तक अवधि बढ़ाने के उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है। इसके बजाय सभा ने केवल 9 दिसम्बर, 1998 तक समय बढ़ाया है। विधेयक पर खंडवार विचार करने, प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार करने, वे सदस्य जो प्रतिवेदन की विभिन्न सिफारिशों से सहमत नहीं हैं, उनके विमत टिप्पण को स्वीकार करने और तत्पश्चात् प्रतिवेदन को 9.12.1998 तक प्रस्तुत करने के लिये 7 दिसम्बर, 1998 को समिति की बैठक हुई। 7.12.1998 को हुई समिति की बैठक में काफी चर्चा के बाद उन्होंने महसूस किया कि विभिन्न लोगों से प्राप्त अत्यधिक सुझावों का अध्ययन करना, अपनी राय बनाना और निर्धारित अवधि में विधेयक में संशोधन करना कठिन है। समिति ने याद दिलाया कि सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था और यह निर्णय लिया था कि अधिनियम के उपबंधों को कड़ा बनाया जाये। समिति ने खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री द्वारा 4.12.1998 को सभा में दिए गए वक्तव्य पर भी गौर किया, जिसमें कहा गया है कि सरकार वर्तमान विधेयक के स्थान पर हाल ही में हुये मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में दिये गये सुझावों/सिफारिशों के आधार पर और अधिक कठोर उपबंध वाला व्यापक विधेयक लाएगी। अतः समिति ने निर्णय लिया कि विधेयक को बिना सिफारिशों के इसी रूप में वापस लौटा दें। समिति ने महसूस किया कि व्यक्तियों, उपभोक्ता संगठनों, व्यापारिक संघों, बार एसोसिएशनों और राज्य सरकारों आदि से प्राप्त ज्ञापनों में अनके उपयोगी और लाभकारी सुझाव दिये गये हैं जोकि आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998 में अन्तर्विष्ट विभिन्न उपबंधों से संबंधित हैं। समिति चाहती है कि सरकार प्रस्तावित व्यापक विधान के विभिन्न उपबंधों को तैयार करते समय ज्ञापनों में अन्तर्विष्ट सुझावों और मंत्रालय के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य के दौरान सामने आयी बातों (प्रतियां संसद ग्रंथालय में रखी गई हैं) पर विचार करे। तदनुसार समिति बिना किसी सिफारिश किये विधेयक को सभा के पास वापस भेजती है।

नई दिल्ली;
9.12.1998

श्याम बिहारी मिश्र,
सभापति,
आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक,
1998 संबंधी संयुक्त समिति।

[दि असेंशियल कमोडिटीज (अमेंडमेंट) बिल, 1998 का हिन्दी अनुवाद]

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के उनचासवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ। 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम 1998 है।

(2) यह 25 अप्रैल, 1998 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 2 का संशोधन। 2. आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 2 में,—

(क) खंड (iक) को खंड (iiक) के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्यांकित खंड (iiक) के पूर्व निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

1974 का 2 (iक) "संहिता" के दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 अभिप्रेत है;

(ख) खंड (क) में, उपखंड (iii) का लोप किया जाएगा;

(ग) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(च) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं, और संहिता में परिभाषित हैं, वही अर्थ हैं जो उस संहिता में हैं।"

धारा 3 का संशोधन। 3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(i) उपधारा (2) के खंड (ज) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु जहां इस धारा के अधीन जारी किए गए किसी आदेश के अधीन प्रवेश, तलाशी, परीक्षा या अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या उसके समतुल्य की पंक्ति से नीचे का है, वहां वह ऐसा प्रवेश, तालाशी, परीक्षा या अभिग्रहण करने के पहले किसी ऐसे अधिकारी की, जो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट या उसके समतुल्य की पंक्ति से नीचे का न हो, पूर्व अनुज्ञा अभिप्राप्त करेगा।";

(ii) उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) इस धारा के अधीन किए गए किसी आदेश में किसी आवश्यक वस्तु के वस्तुगत स्टाक और अभिलेख में के स्टाक के बीच अंतर के लिए, जो जलवायु संबंधी दशाओं या आवश्यक वस्तु के हथालने के कारण उत्पन्न हो, कुछ छूट का उपबंध किया जा सकेगा।"

धारा 6क का संशोधन। 4. मूल अधिनियम की धारा 6क में, उपधारा (2) के परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु किसी ऐसी आवश्यक वस्तु की दशा में, जिसकी फुटकर विक्रय कीमत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नियत की गई है और जिसका विक्रय उचित दर की दुकानों के माध्यम से किया जा रहा है, कलेक्टर उसके साम्यपूर्ण वितरण और उसकी उचित कीमत पर उपलब्धता के लिए, उसका उचित दर की दुकानों के माध्यम से इस प्रकार नियत की गई कीमत पर विक्रय का आदेश दे सकेगा।"

धारा 7 का संशोधन। 5. मूल अधिनियम की धारा 7 में,—

(क) उपधारा (1) के खंड (क) में,—

(i) उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(i) उस धारा की उपधारा (2) के खंड (ज) या खंड (झ) के प्रति निर्देश से किए गए आदेश की दशा में, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा; या दोनों से, दंडनीय होगा;

परन्तु यदि किसी व्यक्ति को इस उपखंड के अधीन उसी अपराध के लिए पुनः सिद्धदोष ठहराया जाता है, तो वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए, कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा:

परन्तु यह और कि न्यायालय निर्णय में उल्लिखित किए जाने वाले यथोचित और विशेष कारणों से तीन मास से कम की अवधि के लिए कारावास का दंडादेश अधिरोपित कर सकेगा:

(ii) उपखंड (ii) में, "सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी जो दायी होगा" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दायी होगा," शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, "सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा।" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी, जो पच्चीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (2क) में, "सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा" शब्दों के स्थान पर "दो वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, दायी होगा" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 10क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

6. मूल अधिनियम की धारा 10क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

संज्ञान और जमानत के बारे में उपबंध।

"10क. संहिता में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा;

(ख) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ज) या उपखंड (झ) के अधीन दंडनीय अपराध को छोड़कर इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध अजमानतीय होगा;

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (क) के उपखंड (ज) या उपखंड (झ) के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध, उस दशा में जब वह एक से अधिक बार किया जाता है, द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए अजमानतीय होगा।"

नई धारा 10कक का अंतःस्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 10क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

गिरफ्तार करने की शक्ति।

"10कक. संहिता में किसी बात के होते हुए भी, पुलिस उपनिरीक्षक से नीचे की पंक्ति का कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध करने के अभियुक्त किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगा।"

धारा 12क का लोप।

8. मूल अधिनियम की धारा 12क का लोप किया जाएगा।

धारा 12क के स्थान पर नई धाराओं का प्रतिस्थापन।

9. मूल अधिनियम की धारा 12क के स्थान पर निम्नलिखित धाराएं रखी जाएंगी, अर्थात्:—

विशेष न्यायालय का गठन।

12क. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, उतने विशेष न्यायालयों का, जितने आवश्यक हों, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिए गठन कर सकेगी, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) विशेष न्यायालय में एकल न्यायाधीश होगा जिसे राज्य सरकार के अनुरोध पर उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा में, "नियुक्त" शब्द का वही अर्थ होगा, जो संहिता की धारा 9 के स्पष्टीकरण में है।

(3) कोई व्यक्ति, विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए तभी अर्हित होगा जब—

(क) वह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित हो, या

(ख) वह कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश रहा हो।

विशेष न्यायालयों द्वारा विचारणीय अपराध।

12कक. (1) संहिता में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध केवल उस विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे जो उस क्षेत्र के लिए गठित किया गया है जिसमें अपराध किया गया है या जहां ऐसे क्षेत्र

के लिए एक से अधिक विशेष न्यायालय हैं वहां उनमें से उस एक न्यायालय द्वारा विचारणीय होंगे जिसे उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ख) कोई विशेष न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट का परिशीलन करने पर या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत संबद्ध सरकार के किसी अधिकारी द्वारा या व्यथित किसी व्यक्ति या किसी मान्यताप्राप्त उपभोक्ता संगम द्वारा, चाहे वह व्यक्ति उस संगम का सदस्य हो या नहीं, किए गए परिवाद पर, अभियुक्त को विचारण के सुपुर्द किए बिना, उस अपराध का संज्ञान कर सकेगा;

(ग) इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का विचारण संक्षेप्त किया जाएगा और संहिता की धारा 262 से धारा 265 तक (जिनमें दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) के उपबंध, जहां तक हो सके, ऐसे विचारण को लागू होंगे:

परन्तु इस धारा के अधीन संक्षेपतः विचारण में किसी दोषसिद्धि की दशा में, विशेष न्यायालय के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह दो वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास का दंडादेश पारित करे।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का विचारण करते समय, विशेष न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से भिन्न किसी ऐसे अपराध का भी विचारण कर सकेगा जिसका अभियुक्त पर संहिता के अधीन एक ही विचारण में आरोप लगाया जा सकता है:

परन्तु यह तब जबकि ऐसा अन्य अपराध उस समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन संक्षेपतः विचारणीय है:

परंतु यह और कि ऐसे विचारण में ऐसे अन्य अपराध के लिए किसी दोषसिद्धि की दशा में, विशेष न्यायालय द्वारा ऐसी अवधि के लिए कारावास का दंडादेश पारित करना विधिपूर्ण नहीं होगा जो ऐसी अन्य विधि के अधीन संक्षेपतः विचारण में दोषसिद्धि के लिए उपबंधित अवधि से अधिक है।

(3) विशेष न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से, जिस पर यह संदेह है कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संबद्ध या संसर्गी है, ऐसे व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमा प्रदान कर सकेगा कि वह अपराध के और उस अपराध को करने से संबद्ध अन्य प्रत्येक व्यक्ति के संबंध में, चाहे वह उनके करने में मुख्य कर्ता रहा हो या दुष्प्रेरक, अपनी जानकारी से सभी परिस्थितियों को पूर्ण और सही रूप से प्रकट करे और इस प्रकार प्रदान की गई क्षमा, संहिता की धारा 308 के प्रयोजनों के लिए, उसकी धारा 307 के अधीन प्रदान की गई समझी जाएगी।

अपील और पुनरीक्षण।

12कख. उच्च न्यायालय, संहिता के अध्याय 29 और अध्याय 30 द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग, जहां तक वे लागू होते हैं, उसी प्रकार कर सकेगा मानो उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर विशेष न्यायालय, उच्च न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर मामलों का विचारण करने वाला सेशन न्यायालय हो।

संहिता का विशेष न्यायालय के समक्ष वाली कार्यवाहियों को लागू होना।

12कग. इस अधिनियम में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, संहिता के उपबंध (जिसके अन्तर्गत जमानत और बंधपत्र के बारे में उपबंध है) विशेष न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों को लागू होंगे और उक्त उपबंधों के प्रयोजनों के लिए, विशेष न्यायालय को सेशन न्यायालय समझा जाएगा और विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन संचालित करने वाला व्यक्ति लोक अभियोजक समझा जाएगा।''

निरसन और व्यावृत्ति।

1998 का अध्यादेश संख्यांक 13

10. (1) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1998 इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

(3) यदि कोई अपील, आवेदन, विचारण, जांच या अन्वेषण इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व लंबित हैं तो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व यथाप्रवृत्त मूल अधिनियम के उपबंधों के अनुसार यथास्थिति ऐसी अपील, आवेदन, विचारण, जांच या अन्वेषण का निपटारा किया जाएगा, विचारण को चालू रखा जाएगा, जांच की जाएगी या अन्वेषण किया जाएगा मानो यह अधिनियम प्रवर्तन में नहीं आया था।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के विद्यमान उपबंध—

(क) आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी, चोरबाजारी और मुनाफाखोरी से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटारे;

(ख) निम्न क्षेत्र कृत्यकारियों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग किए जाने से रोकने;

(ग) उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की आसानी से उपलब्धता को सुनिश्चित करने;

(घ) जब स्टाक में छोटे-मोटे अंतर होते हैं तब व्यापारियों की उचित कठिनाइयों को दूर करने; और

(ङ) उदारीकरण के रास्ते पर चलने के लिए,

पर्याप्त और प्रभावी नहीं है।

2. उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अधीन पहले से स्थापित विशेष न्यायालयों द्वारा संक्षिप्त रीति से विचारण किया जाएगा। ये न्यायालय अब भी कार्यरत हैं और उन्हें जारी रखने का प्रस्ताव किया जाता है। कतिपय छोटे अपराधों के सिवाय, सभी अपराध अजमानतीय होंगे। जुर्माने की रकम अधिक होगी किन्तु कारावास की अधिकतम अवधि सात वर्ष से घटाकर दो वर्ष की जाएगी क्योंकि सभी अपराधों का विचारण संक्षिप्त रूप से किया जाएगा।

3. निम्न क्षेत्र कृत्यकारियों से यह अपेक्षा की जाएगी कि वे अधिनियम के अधीन जारी किए गए आदेश के अधीन प्रवेश, परीक्षा या अभिग्रहण करने से पूर्व प्रथम श्रेणी से अनिम्न पंक्ति के मजिस्ट्रेट या उसके समतुल्य किसी अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करे। इसी प्रकार पुलिस उपनिरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न का कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को करने वाले किसी अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगा। इन उपायों से निम्न कृत्यकारियों द्वारा शक्ति का अभिकथित दुरुपयोग कम होगा।

4. कतिपय अभिगृहीत आवश्यक वस्तुओं को कलेक्टर द्वारा उचित कीमत की दुकानों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियत कीमत पर बेचा जा सकेगा। इससे वस्तुओं के व्ययन में विलम्ब को समाप्त किया जा सकेगा और उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता आसान होगी।

5. यह प्रस्ताव है कि इस अधिनियम के अधीन किए गए आदेशों में ऐसी किसी आवश्यक वस्तु के वास्तविक स्टाक और अभिलेख पर स्टाक में अंतर के लिए जो जलवायु की दशाओं या आवश्यक वस्तुओं के हथालने के कारण हो सकेगा, कतिपय छूट के लिए उपबंध किया जा सकेगा। इससे व्यापारियों के विरुद्ध स्टाकों में छोटी-मोटी भिन्नता के लिए कार्रवाई करने से बचा जा सकेगा।

6. आर्थिक परिवर्तनों की दृष्टि से आटोमोटिव संघटकों को अनुज्ञप्ति से मुक्त कर दिया गया है। आटोमोटिव संघटक उद्योग देश में काफी विकसित हो गया है और नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विस्तृत पैमाने पर संघटकों का उत्पादन कर रहा है। काफी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है। उनके आयात पर कोई निर्बंधन नहीं है। इसलिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि अधिनियम से "मोटरयानों के संघटक पुर्जों और उपसाधनों" मद को निकाल दिया जाए।

7. ऊपर वर्णित तथ्यों को और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि संसद सत्र में नहीं थी, उक्त प्रस्तावों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1998 राष्ट्रपति द्वारा 25 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित किया गया था।

8. यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए है।

नई दिल्ली;
19 मई, 1998

सुरजीत सिंह बरनाला

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 9 अधिनियम के अधीन सभी अपराधों के संक्षिप्त रीति में विचारण के लिए राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायालयों के गठन के लिए उपबंध करता है। आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अधीन विशेष न्यायालय स्थापित किए गए थे और वे तत्पश्चात् प्रख्यापित अध्यादेश को ध्यान में रखते हुए कार्यरत हैं। इन विशेष न्यायालयों को जारी रखने का प्रस्ताव है और अन्य विशेष न्यायालय स्थापित भी किए जा सकते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसे न्यायालयों पर जिनकी अपनी स्वयं की कोई संचित निधियां नहीं हैं, व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जाएगा।

2. यह इंगित किया जाता है कि उन संघ राज्य क्षेत्रों में जहां ऐसे विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं, विद्यमान सेशन न्यायालयों या अपर सेशन न्यायालयों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालयों के रूप में अभिहित किया गया है। इसलिए, न्यायाधीशों और सहायक कर्मचारिवृन्द के वेतनों के संबंध में कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा। तथापि, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रथम वर्ष के लिए 4,00,000 रुपये और 2,00,000 रुपये का क्रमशः आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय प्राक्कलित किया जाता है।

3. इसके अतिरिक्त कोई अन्य आवर्ती अथवा अनावर्ती व्यय नहीं होगा।

उपाबंध

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम संख्यांक 10) से उद्धरण

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो— परिभाषाएं ।

(क) 'आवश्यक वस्तु' से निम्नलिखित वस्तु-वर्गों में से कोई अभिप्रेत है:—

* * * *

(iii) मोटरगाड़ियों के संघटक भाग और उपसाधन,

* * * *

3. (1) * * * *

आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय वितरण, आदि का नियंत्रण करने की शक्तियां ।

(2) उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, तद्धीन किए गए आदेश द्वारा निम्नलिखित का उपबन्ध किया जा सकेगा—

* * * *

(ञ) कोई आनुषंगिक और अनुपूरक विषय, जिनके अन्तर्गत विशिष्टतया परिसरों, विमानों, गाड़ियों, अथवा अन्य प्रवहणों में प्रवेश तथा उनकी एवं पशुओं की तलाशी और परीक्षा एवं ऐसा प्रवेश, तलाशी या परीक्षा करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निम्नलिखित कार्य भी हैं:—

(i) किन्हीं ऐसी चीजों का, जिनकी बाबत ऐसे व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि आदेश का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया ही जाने वाला है, और किन्हीं ऐसे पैकेजों, आवेष्टकों या पात्रों का जिनमें ऐसी चीजें पाई जाएं, अभिग्रहण,

(ii) ऐसी चीजों को ले जाने में प्रयुक्त विमानों, जलयानों, गाड़ियों अथवा अन्य प्रवहणों या पशुओं का उस दशा में अभिग्रहण, जब ऐसे व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा विमान, जलयान, गाड़ी या अन्य प्रवहण या पशु इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन समपहरणीय हैं;

(iii) किन्हीं ऐसी लेखा-पुस्तकों और दस्तावेजों का अभिग्रहण, जो ऐसे व्यक्ति की राय में इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हों तथा वह व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से ऐसी लेखा-पुस्तकों या दस्तावेजों का अभिग्रहण किया गया है, उस अधिकारी की उपस्थिति में, जिसकी अभिरक्षा में ऐसी लेखा-पुस्तकें या दस्तावेज हैं, उनकी प्रतियां बनाने या उनसे उद्धरण लेने का हकदार होगा।

* * * *

6क. (1) * * * *

खाद्यान्नों, खाद्य तिलहनों और खाद्य तेलों का अधिहरण ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी आवश्यक वस्तु के अभिग्रहण की रिपोर्ट प्राप्त करने पर या उसके निरीक्षण पर कलक्टर की यह राय है कि आवश्यक वस्तु शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या लोकहित में ऐसा करना अन्यथा समीचीन है वहां वह:—

(i) उसका विक्रय उस नियंत्रित कीमत पर, यदि कोई हो, किए जाने का आदेश दे सकेगा जो ऐसी आवश्यक वस्तु के लिए इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन नियत की गई हो; या

(ii) जहां कोई ऐसी कीमत नियत नहीं की गई है वहां लोक नीलाम द्वारा उसका विक्रय किए जाने का आदेश दे सकेगाः

परन्तु कलक्टर, खाद्यान्नों की दशा में, उनके सामयिक वितरण और उनकी उचित कीमत पर उपलभ्यता के लिए उनका विक्रय उचित दर की दुकानों के माध्यम से जनता को उस कीमत पर किए जाने का आदेश दे सकेगा, जो यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे खाद्यान्नों के फुटकर विक्रय के लिए नियत की गई हो।

*　　*　　*　　*

शास्तियां

7. (1) यदि कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश का उल्लंघन करेगा,—

(क) तो वह,—

(i) उस धारा की उपधारा (2) के खण्ड (ज) या खण्ड (झ) के प्रति निर्देश से किए गए आदेश की दशा में कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगा, तथा

(ii) किसी अन्य आदेश की दशा में कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगाः

परन्तु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के आधार पर, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाएगा, तीन मास से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश दे सकेगा;

*　　*　　*　　*

(2) यदि कोई व्यक्ति जिसको धारा 3 की उपधारा (4) के खण्ड (ख) के अधीन निदेश दिया गया हो उस निदेश का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से कम नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगाः

परन्तु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के आधार पर, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाएगा, तीन मास से कम की अवधि के कारावास का दंडादेश दे सकेगा।

(2क) यदि उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (ii) के अधीन या उपधारा (2) के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया कोई व्यक्ति उसी उपबंध के अधीन किसी अपराध के लिए पुनः सिद्धदोष ठहराया जाएगा तो, वह द्वितीय और प्रत्येक पश्चात्‌वर्ती अपराध के लिए कारावास से जिसकी अवधि छह मास से कम की नहीं होगी किन्तु सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डनीय होगा और जुर्माने का भी दायी होगाः

परन्तु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त और विशेष कारणों के आधार पर, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाएगा, छह मास से कम की अवधि के कारावास का दंडादेश दे सकेगा।

*　　*　　*　　*

अपराधों का संज्ञेय और जमानतीय होना।

10क. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन दण्डनीय हर एक अपराध संज्ञेय होगा।

*　　*　　*　　*

जुर्माने के बारे में विशेष उपबन्ध।

12. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 29 में किसी बात के होते हुए भी धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष किसी व्यक्ति के बारे में पांच हजार रुपए से अधिक जुर्माने का दण्डादेश पारित करना किसी महानगर मजिस्ट्रेट या किसी प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से सशक्त किया गया हो विधिसम्मत होगा। 1974 का 2

"12क. संक्षेपतः विचारण की शक्ति—(1) यदि केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई है जिसमें किसी आवश्यक वस्तु के जो उपधारा (2) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट आवश्यक वस्तु नहीं है, उत्पादन, प्रदाय या वितरण अथवा उसमें व्यापार या वाणिज्य और अन्य सुसंगत बातों के हित में यह आवश्यक है कि ऐसी आवश्यक वस्तु के सम्बन्ध में धारा 3 के अधीन किसी आदेश के उल्लंघन का संक्षेपतः विचारण किया जाए तो केन्द्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे आदेश को इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के प्रयोजनों के लिए विशेष आदेश विनिर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसी हर एक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी;

परन्तु—

(क) आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1971 के प्रारम्भ के पश्चात् निकाली गई हर ऐसी अधिसूचना जब तक वह पहले ही विखंडित न कर दी जाए, राजपत्र में उस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात् दो वर्ष के अवसान पर प्रवृत्त न रह जाएगी;

(ख) ऐसे प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त हर ऐसी अधिसूचना, जब तक वह पहले ही विखण्डित न कर दी जाए, ऐसे प्रारम्भ के पश्चात् दो वर्ष के अवसान पर प्रवृत्त न रह जाएगी:

परन्तु यह और कि यदि किसी अधिसूचना में विर्निदिष्ट किसी विशेष आदेश के उल्लंघन से संबंधित किसी मामले में संक्षिप्त विचारण के रूप में कार्यवाही उस अधिसूचना के विखण्डित किए गए जाने के या प्रवृत्त न रह जाने के पूर्व प्रारम्भ की गई हो तो पूर्वगामी परन्तुक की कोई बात उस मामले पर कोई प्रभाव न डालेगी और इस धारा के उपबन्ध उस मामले को ऐसे लागू बने रहेंगे मानो वह अधिसूचना विखण्डित न की गई हो या उसका प्रवृत्त रहना समाप्त न हुआ हो।

(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, उन सभी अपराधों का जो,— 1974 का 2

(क) धारा 3 के अधीन किए गए किसी आदेश के—

(i) सूती या ऊनी वस्त्र की बाबत; या

(ii) खाद्य पदार्थ की बाबत जिसके अंतर्गत खाद्य तिलहन और तेल भी है; या

(iii) औषधि की बाबत,

उल्लंघन से संबंधित है; और

(ख) उस दशा में जब किसी विशेष आदेश के संबंध में उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना प्रवृत्त है ऐसे विशेष आदेश के उल्लंघन से संबंधित है; राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा संक्षेपतः विचारण किया जाएगा और जहां तक हो सकेगा उक्त संहिता की धारा 262 से लेकर धारा 265 तक के उपबंध ऐसे विचारण को लागू होंगे:

परन्तु इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में दोषसिद्धि की दशा में, मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह इतनी अवधि के लिए जो एक वर्ष से अधिक की न हो कारावास का दण्डादेश पारित करे:

परन्तु यह और कि यदि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के आरम्भ में या उसके दौरान, मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि मामले की प्रकृति ऐसी है कि एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास का दण्डादेश पारित करना पड़े या किसी अन्य कारण से मामले का संक्षेपतः विचारण करना अवांछनीय है तो मजिस्ट्रेट पक्षकारों को सुनने के पश्चात् उस भाव का आदेश अभिलिखित करेगा और तत्पश्चात् किन्हीं भी साक्षियों को जिनकी परीक्षा की जा चुकी हो पुनः बुलाएगा और मामले को उक्त संहिता द्वारा उपबंधित रीति से सुनने या पुनः सुनने के लिए अग्रसर होगा।

(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस धारा के अधीन संक्षेपतः विचारित किसी मामले में सिद्धदोष व्यक्ति द्वारा उस दशा में कोई अपील नहीं हो सकेगी जिसमें कि मजिस्ट्रेट एक मास से अनधिक के कारावास का और दो हजार रुपये से अनधिक के जुर्माने का दण्डादेश पारित करता है चाहे ऐसे दण्डादेश के अतिरिक्त सम्पत्ति के समपहरण का कोई आदेश या उक्त संहिता की धारा 452 के अधीन कोई आदेश किया जाता है या नहीं, किन्तु उस दशा में अपील हो सकेगी जिसमें मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त परिसीमाओं से अधिक का दण्डादेश पारित किया जाता है। 1974 का 2

(4) उपधारा (2) के खंड (क) में निर्दिष्ट आदेश के, जो विशेष आदेश नहीं है, उल्लंघन से संबंधित सभी मामलों का, जो आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 1974 के प्रारम्भ के ठीक पहले किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लम्बित है और जहां किसी विशेष आदेश के संबंध में उपधारा (1) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाती है वहां ऐसे विशेष आदेश के उल्लंघन से संबंधित सभी मामलों का जो ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पहले किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है, इस धारा के अधीन उस दशा में संक्षेपतः विचारण किया जाएगा जब, यथास्थिति, ऐसे प्रारम्भ या उक्त तारीख से पहले किसी साक्षी की परीक्षा नहीं हुई है और यदि वह मामला किसी ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है जो इस धारा के अधीन उसका संक्षेपतः विचारण करने के लिए सक्षम नहीं है तो वह इस प्रकार सक्षम मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा।

परिशिष्ट एक

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 2)

विधेयक संयुक्त समिति को सौंपने हेतु लोक सभा में प्रस्ताव

"कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिये विधेयक को आगे सभाओं की 30 सदस्यीय संयुक्त समिति को भेजा जाये जिसमें 20 सदस्य इस सभा के यथाः—

1. श्री अमरीक सिंह आलीवाल
2. श्री एन॰ डेनिस
3. श्री अब्दुल गफूर
4. श्री सतपाल जैन
5. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल
6. श्री भुवनेश्वर कालिता
7. श्री विजय कुमार खंडेलवाल
8. प्रो॰ अजित कुमार मेहता
9. श्री श्याम बिहारी मिश्र
10. श्री एस॰ मुरुगेसन
11. श्री अजित कुमार पांजा
12. श्री हरिन पाठक
13. श्रीमती सूर्यकंता पाटील
14. प्रो॰ ए॰के॰ प्रेमाजम
15. श्री एम॰ राजैया
16. श्री कोनिजेटी रोसैया
17. श्री किशन सिंह सांगवान
18. श्री मोहन सिंह
19. श्री के॰डी॰ सुल्तानपुरी
20. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी

और 10 सदस्य राज्य सभा के होंगेः

'कि संयुक्त समिति की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम संयुक्त समिति की कुल सदस्य संख्या का एक तिहाई होगाः

कि समिति अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक इस सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगीः

कि इस सभा के संसदीय समितियों से संबंधित प्रक्रिया नियम अन्य मामलों में ऐसे परिवर्तनों तथा संशोधनों के साथ लागू होंगे जो अध्यक्ष द्वारा किये जायेंः और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में शामिल हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 10 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।'

उपर्युक्त प्रस्ताव लोक सभा द्वारा अपनी गुरुवार, 9 जुलाई, 1998 को हुई बैठक में स्वीकार किया गया।"

परिशिष्ट दो

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 3)

विधेयक संयुक्त समिति को सौंपने हेतु राज्य सभा में प्रस्ताव

"कि यह सभा लोक सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिये विधेयक से संबंधित सभाओं की संयुक्त समिति में राज्य सभा शामिल हो, और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति के लिये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये जायें:—

1. श्री संघ प्रिय गौतम
2. श्री वेदप्रकाश पी० गोयल
3. श्री आदिक शिरोडकर
4. श्री भुवनेश चतुर्वेदी
5. श्री एम० शंकरलिंगम
6. श्री गुफरान आज़म
7. कुमारी निर्मला देशपांडे
8. श्री बरजिन्दर सिंह हमदर्द
9. श्री अशोक मित्र
10. श्री गया सिंह

उपर्युक्त प्रस्ताव राज्य सभा द्वारा अपनी 21 जुलाई, 1998 को हुई बैठक में पारित किया गया।"

परिशिष्ट तीन

(देखिये प्रतिवेदन का पैरा 12)

संघों/संगठनों/व्यक्तियों आदि की सूची जिनसे संयुक्त समिति को ज्ञापन प्राप्त हुए

ज्ञापन संख्या	संघ का नाम और पता
1.	कंज्यूमर एजूकेशन एंड रिसर्च, सुरक्षा समकूल, थालतेज, अहमदाबाद—गांधीनगर हाई-वे, अहमदाबाद-380 054 (इंडिया)
2.	वेस्ट बंगाल एसेंशियल कामोडिटीज ट्रेडर्स स्ट्रगल फोरम,, 5/2, वजीर चौधरी रोड, कलकत्ता-700 087
3.	फिक्की (फेडरेशन ऑफ इन्डियन चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री), फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, नई दिल्ली-110 001
4.	द नागपुर इतवारी किराना मर्चेण्ट्स एसोसिएशन, किराना भवन, मस्कसाथ, इतवारी, नागपुर-440 002
5.	नाग-विदर्भ चैम्बर ऑफ कामर्स, टेम्पल रोड, सिविल लाइन्स, नागपुर-440 001
6.	पीएचडी-चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, पीएचडी-हाउस, एशियाई खेलगांव के सामने, नई दिल्ली-110 016
7.	फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूडग्रेन डीलर्स एसोसिएशन, फ्लैट नं० 12 (ग्राउंड फ्लोर), 32, अलीपुर रोड, नई दिल्ली-110 054
8.	फेडरेशन ऑफ गुजरात फूडग्रेन डीलर्स एसोसिएशन, 415, चौबा बाजार, कालूपुर, अहमदाबाद-380 002
9.	राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ, नई अनाज मंडी, चांदपोल के बाहर, जयपुर-302 001
10.	चैम्बर ऑफ कामर्स, श्री कन्याका परमेश्वरी रोड, खम्माम-507 003 (आंध्र प्रदेश)

ज्ञापन संख्या	संघ का नाम और पता
11.	आन्ध्र प्रदेश ग्रेन एण्ड सीड्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, 16-10-1/108, श्री कृपा एग्रीकल्चरल, मार्किट काम्पलेक्स, मालाकपेट, हैदराबाद-500 036 (आन्ध्र प्रदेश)
12.	कॉमन कॉज़, 5, इन्स्टीट्यूशनल एरिया, नेलसन मण्डेला रोड, वसन्त कुंज, नई दिल्ली-110 070
13.	महाराष्ट्र चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, आरिकान हाउस, छठा तल, महाराष्ट्रा, चैम्बर्स आफ कामर्स, पथ फोर्ट, मुम्बई-400 001
14.	आल इण्डिया राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन, पीएचडी हाउस, चतुर्थ तल, फेज़-1, अपोजिट एशियन गेम्स विलेज, नई दिल्ली-110 016
15.	मध्य प्रदेश रोलर फ्लोर मिलर्स एसोसिएशन, सेन्ट्रल इंडिया फ्लोर मिल्स, होशंगाबाद रोड, भोपाल-462 011 (म॰प्र॰)
16.	फेडरेशन आफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन, पार्क मेन्शन, द्वितीय तल, फ्लैट नं॰ 9, 57-ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-700 016
17.	महाकौशल चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, चैम्बर भवन, सिविक सेन्टर, मरहातल, जबलपुर-482 002 (म.प्र.)
18.	फेडरेशन आफ आन्ध्र प्रदेश चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज, 11-6-841, रैड हिल्स, पी बी नं॰-14, हैदराबाद, 500 004,
19.	दिल्ली ग्रेन मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (रजि॰) 156/41, नया बाजार, दिल्ली-110 006
20.	दि तमिलनाडू फूडग्रेन्स मर्चेन्ट्स, एसोसिएशन लि॰, 342 एवं 344, ईस्ट मसी स्ट्रीट, मदुरै-625 001

ज्ञापन संख्या	संघ का नाम और पता
21.	एशोचेम-दि एसोसिएटेड चैम्बर्स आफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री आफ इण्डिया, नई दिल्ली, द्वितीय तल, इलाहाबाद बैंक बिल्डिंग, नई दिल्ली-110 001
22.	महाराष्ट्र चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, आरिकन हाउस, छठा तल, महाराष्ट्र कामर्स आफ चैबर्स, 12-के, दुभाष मार्ग, फोर्ट, मुम्बई-440 001
23.	मर्चेन्ट्स चैम्बर आफ कामर्स, 15-बी, हेमन्त बसु सरानी, कलकत्ता-700 001
24.	आन्ध्र चैम्बर आफ कामर्स, 2, राजाजी फर्स्ट स्ट्रीट, लेक एरिया, नुंगाम्बकम, चेन्नई-600 034
25.	दि मद्रास बार एसोसिएशन, उच्च न्यायालय भवन, चेन्नई-600 104
26.	फेडरेशन आफ मध्य प्रदेश चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, उद्योग भवन, 129-ए, मालवीय नगर, भोपाल-462 003
27.	पंजाब सरकार, खाद्य और आपूर्ति विभाग (खाद्य वितरक-II शाखा) श्री एच.एस. पहला, संयुक्त सचिव, खाद्य और आपूर्ति
28.	फेडरेशन आफ आल इण्डिया फूड ग्रेन्स, डीलर्स एसोसिएशन, दिल्ली, श्री के.एल. रेनू
29.	मदुरै ग्रोसरी रिटेल डीलर्स एसोसिएशन, नं० 2, वीराघव परमल कोनिल स्ट्रीट, साउथ मासी स्ट्रीट, मदुरै-1
30.	कर्नाटक स्टेट बार काउंसिल, तीसरा क्रास, जे.सी.आर. सर्कल, जे.सी.आर. एक्सटेंशन, चित्रदुर्ग-577 501
31.	तिरुप्पुनवम मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, तिरुप्पुनवम-630 611

ज्ञापन संख्या	संघ का नाम और पता
32.	आरिसि पालासारकु नियाबारिगल संगम, टुटुकुडि, नं॰ 280/40, डब्ल्यूजीसी रोड, तूतीकोरिन-628 002
33.	मैसूर ग्रान्कारा परिषद, 6/1, विवेकानन्द रोड, यदनगिरि, मैसूर-570 020
34.	महगाई मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, पनसूजी-601 106
35.	मुम्बई ग्राहक पंचायत, ग्राहक भवन, सन्त ध्यायेश्वर मार्ग, बिहाइन्ड कूर हास्पिटल, विले पार्ले (वेस्ट) मुम्बई-400 056
36.	दि पूना मर्चेन्ट्स चैम्बर, व्यापार भवन, मार्किट यार्ड, ग्लुटेकाडी, पुणे-411 037
37.	दि बम्बई गुड़ मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, 230, सेन्ट्रल फेसिलिटी बिल्डिंग, ए.पी.एम.सी., मार्किट-1 फेज़-II, तुर्भे, न्यू मुम्बई-400 705
38.	दि गुंटूर दाल मिलर्स वेलफेयर एसोसिएशन, इलुरु बाजार, गुंटूर-522 003
39.	महाराष्ट्र सरकार खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय एनेक्सी, मुम्बई-400 032
40.	महाराष्ट्र चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, आरकिन हाउस, छठा तल, महाराष्ट्र चैम्बर आफ कामर्स, 12-के, दुभाष मार्ग, फोर्ट, मुम्बई-400 001
41.	दि मुम्बई शुगर मर्चेन्ट्स एसोसिएशन लिमिटेड, 158/159, सेन्ट्रल फैसिलिटी बिल्डिंग, फेज़-II, मार्किट-1, तुर्भे, वाशी, न्यू मुम्बई-400 703

ज्ञापन संख्या	संघ का नाम और पता
42.	दि ग्रेन्स राइस एण्ड आयलसीड्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन, नवी मुम्बई आफिस, एन-3-4, एमपीएमसी, मार्किट काम्पलैक्स, फेज-II, मार्किट-11, तुर्भे, न्यू मुम्बई-400 073
43.	फेडरेशन आफ एसोसिएशन आफ महाराष्ट्रा, 510, भारत चैम्बर्स, 52-सी, क्रान्ति सिन्हा नाना पाटिल मार्ग, (बड़ौदा स्ट्रीट), कारनेक बुंदेर, मुम्बई-400 009
44.	दि वेस्ट गोदावरी फेडरेशन आफ चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री, चैम्बर्स स्क्वायर, डब्ल्यू.जी.डी.टी. इलरू-534 001, आन्ध्र प्रदेश
45.	वेस्ट बंगाल स्टेच्यूटरि राशन डीलर्स (ए.आर.) कोआर्डिनेशन कमेटी, 29, श्याम स्क्वायर, कलकत्ता-700 001
46.	बंगाल राइस मिल्स एसोसिएशन, 23, आर.एन. मुखर्जी रोड, कलकत्ता-700 001
47.	मालदा मर्चेन्ट्स चैम्बर्स आफ कामर्स, बानिजय्या भवन, संकोपारा, महेश्माती, मालदा-732 101
48.	रानीगंज इन्डस्ट्रीज एण्ड ट्रेड एसोसिएशन, झुनझुनवाला एसोसिएट बिल्डिंग, 104, जे. एल. नेहरू मार्ग, पी.बी. नं॰ 3, पी.ओ. रानीगंज-710 047, प. बंगाल
49.	वीरभूम डिस्ट्रिक्ट राइस मिल्स एसोसिएशन, बोलपुर-731 204 जिला वीरभूम (प॰ बंगाल)
50.	फेडरेशन आफ ट्रेडर्स आर्गनाइजेशन आफ वेस्ट बंगाल, 60-बी, चौरंगी रोड, पांचवां तल, कलकत्ता-700 020
51.	फेडरेशन आफ वेस्ट बंगाल ट्रेड एसोसिएशन, पार्क मेन्शन, द्वितीय तल, फ्लैट नं॰ 9, 57-ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-700 016

ज्ञापन संख्या	संघ का नाम और पता
52.	भारत चैम्बर्स आफ कामर्स, 9, पार्क मेन्शन्स, द्वितीय तल, 57-ए, पार्क स्ट्रीट, कलकत्ता-700 016
53.	कन्ज्यूमर एक्शन फोरम, 5/1, रैड क्रास प्लेस, कलकत्ता-700 062
54.	कर्नाटक फोरम फोर प्रमोशन आफ कन्ज्यूमर एसोसिएशन, 160, 36-ए क्रास, सप्तम ब्लॉक, जयनगर, बंगलौर-560 082
55.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ कन्ज्यूमर स्टडीज़, 31/ए, बेन्सन क्रास रोड, बंगलौर-560 046
56.	कर्नाटक स्टेट फेडरेशन आफ कन्ज्यूमर्स आर्गेनाइजेशन्स, 525, आठवां क्रास, मोक्सा मार्ग, सिद्धार्थ लेआउट, मैसूर-570 011
57.	वाणाशंकासी कन्ज्यूमर प्रोटेक्शन सोसाइटी, 1939, नौवां मुख्य, 27वां क्रास, वाणाशंकारी सी.-II स्टेज, बंगलौर-560 070
58.	आयल सीड्स, आयल ट्रेड एण्ड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन इन कर्नाटका (रजि०) 38/1, प्रथम तल, पम्पा महाकवि रोड, चामराजपेट, बंगलौर-560 018
59.	फेडरेशन आफ कर्नाटक चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, पो०बा० नं० 9996, के०जी० रोड, बंगलौर-560 009
60.	कर्नाटक सरकार (खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग के विचार)
61.	आयल सीड्स आयल ट्रेड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, 38/1, प्रथम तल, पम्बाकनी रोड, चामराजपेट, बंगलौर-560 018
62.	कर्नाटक स्टेट कॉटन एसोसिएशन, केशर काम्पलेक्स, सात कचहरी रोड, पो०बा० नं०-7 रायचूर-584 101

ज्ञापन संख्या	संघ का नाम और पता
63.	द बंगलौर ग्रेन मर्चेन्ट एसोसिएशन (रजि०) 2, जी. एम. सी. बैंक बिल्डिंग, पम्पामदाकनी रोड, बंगलौर-560 018
64.	कर्नाटक प्रदेश होटल एण्ड रेस्टोरेन्ट, एसोसिएशन (रजि०), जीवन बिल्डिंग 111, फ्लोर नं० 11, केमारा पार्क पूर्व, बंगलौर-560 001
65.	क्लाथ मर्चेन्ट एसोसिएशन, गुलबर्गा-585 101, कर्नाटक
66.	बेलगाम चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज, 673 रांजमर पथ, बेलगाम-2
67.	द बंगलौर होलसेल फूडग्रेन एण्ड पल्सेज मर्चेन्ट एसोसिएशन, नं०-50, प्रथम तल, एस०वी० मार्केट, ओल्ड थारागुपेट, बंगलौर-560 053
68.	कंज्यूमर्स राइट्स एसोसिएशन एण्ड अवेयरनेस ट्रस्ट, 239, 5 वां "सी", मेन रेमको लेआउट विजयनगर, बंगलौर-560 040
69.	कर्नाटक चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, कर्नाटक चैम्बर्स बिल्डिंग, हुबली-580 020
70.	मैसूर चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री, श्री ए० ओन्कारप्पा
71.	हैदराबाद-कर्नाटक चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, गुलबर्गा
72.	फेडरेशन आफ ए०पी० फेयरशाप डीलर वेलफेयर एसोसिएशन, हैदराबाद 14-8-304 चांदी बाजार, हैदराबाद-500 012
73.	द फेडरेशन आफ आंध्र प्रदेश, चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, 11-6-841, रेड हिल्स पो०बा० नं० 14, हैदराबाद-500 004

ज्ञापन संख्या	संघ का नाम और पता
74.	भारत सरकार, खाद्य और नागरिक पूर्ति विभाग
75.	द रायलसीमा सीड्स एण्ड आयल मिलर्स एसोसिएशन (रजि०) अदोनी, जिला कर्नूल, आंध्र प्रदेश
76.	किराना एण्ड जैगरी मर्चेन्ट एसोसिएशन, गांधी चौक, खम्माम-507 003 आंध्र प्रदेश
77.	द बेजवाडा कामर्शियल एसोसिएशन (रजि०) डी०नं०-11-50-37, श्री नीलयम स्ट्रीट, विजयवाड़ा-520 001 आंध्र प्रदेश
78.	द आंध्र प्रदेश एक्सपोर्टर एसोसिएशन (रजि०) रामगोपाल स्ट्रीट, विजयवाड़ा-500 001
79.	द आंध्र प्रदेश दाल मिलर्स, एसोसिएशन, डी०नं० 10-10-17, ब्राहिमण स्ट्रीट, विजयवाड़ा-500 001
80.	गुन्टाकल मर्चेन्ट एसोसिएशन, गुन्टाकल-515 801
81.	दि रिटेल मर्चेन्ट्स एसोसिएशन गुंटाकल-515 801 अनन्तपुर जिला, आन्ध्र प्रदेश
82.	दि कृष्णा गुंटूर डिस्ट्रिक्स प्लसिज एक्सपोर्ट मर्चैंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, 21-3-33, मेन रोड़, गुंटूर-522 003 आंध्र प्रदेश
83.	होलसेल ग्रेन्स एण्ड जनरल मर्चैंट्स एसोसिएशन, बांदला बाजार, गुंटूर-522 003
84.	भारत का राजपत्र असाधारण भाग-दो, खण्ड-एक
85.	आवश्यक वस्तु अधिनियम विशेष प्रावधान अधिनियम, अध्यादेश और आंध्र प्रदेश सरकार के विचार

ज्ञापन संख्या	संघ का नाम और पता
86.	श्री राम कृष्ण मार्फत ''क्राइज़'' 8-2-120/115/3, रोड सं॰ 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500 033
87.	आंध्र प्रदेश सरकार, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले आयुक्त का कार्यालय, हैदराबाद
88.	उपभोक्ता हित संवर्धन और कयाण समिति, प्रथम तल, 3-4-472, बरकतपुरा, हैदराबाद-500 027 आंध्र प्रदेश
89.	आंध्र प्रदेश कैरोसीन होलसेल डीलर्स फेडरेशन, ए॰ सं॰ 1158, एम॰एल॰ए॰ कालोनी, रोड सं॰ 12, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500 034
90.	दि चैम्बर आफ कामर्स, वाणिज्य भवन, बुल्ली वेधी, विजयनग्राम-535 001 आंध्र प्रदेश
91.	आंध्र प्रदेश स्टेट ट्रेड एण्ड इंडस्ट्री एक्शन कमेटी, 11-62-22, कैनाल रोड, विजयवाड़ा-520 001 आंध्र प्रदेश
92.	चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, टुनी ई॰जी॰ डीटी॰ आंध्र प्रदेश
93.	आंध्र प्रदेश ट्रेड कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री एक्शन कमेटी, पो॰बा॰ सं॰ 561, गांधीनगर, विजयवाड़ा-520 003
94.	आंध्र प्रदेश ऑयल मिलर्स एसोसिएशन लि॰, 15-2-677, किशनगंज, हैदराबाद-500 012
95.	फर्टिलाइजर्स डीलर्स एसोसिएशन, आंध्र प्रदेश, 5-8-85/4, गडवाल कम्पाउंड, स्टेशन रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500 001

ज्ञापन संख्या	संघ का नाम और पता
96.	मध्य प्रदेश अनाज तिलहन व्यापारी महासंघ, महादेव सहारा, नई अनाज मंडी, इंदौर-1
97.	दि सिकन्दराबाद होलसेल ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन, हिस्सामगंज, सिकन्दराबाद-500 003 आंध्र प्रदेश
98.	दि आंध्र प्रदेश एल०पी०जी० (कुकिंग गैस) डीलर्स एसोसिएशन, 203, सत्य साईं अपार्टमेंट्स, ईस्ट श्रीनिवास नगर, एस०आर० नगर, हैदराबाद-500 038
99.	दि ऑल इंडिया कैरोसीन डीलर्स फेडरेशन, बी-32, ग्रेटर कैलाश पार्ट-एक, नई दिल्ली-110 048
100.	वारंगल, चैम्बर ऑफ कामर्स, ग्रेन मार्केट एरिया, वारंगल-506 002, आंध्र प्रदेश
101.	दि आंध्र प्रदेश फेडरेशन ऑफ चैम्बर्स ऑफ कामर्स एण्ड ट्रेडर्स, वारालक्ष्मी मार्केट कॉम्पलेक्स, महात्मा गांधी रोड, सिकन्दराबाद-500 003
102.	फेयर प्राइज़ शॉप डीलर्स वैलफेयर फेडरेशन आफ आंध्र प्रदेश, 20-1-283, इन्साइड पुराना पुल, हैदराबाद-500 064
103.	दि गुंटूर दाल मिलर्स वैलफेयर एसोसिएशन, एलूरू बाजार, गुंटूर-522 003, आंध्र प्रदेश
104.	विजयवाड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, चैम्बर रोड, गांधी नगर, विजयवाड़ा-520 003, आंध्र प्रदेश
105.	स्टेट राइस मिलर्स एसोसिएशन, आंध्र प्रदेश, एलूरू-534 007
106.	दि अन्नकापाली राइस मर्चेंट्स एसोसिएशन (रजि०), 11-4-20, चीना वेधी, अन्नकापाली-531 001

ज्ञापन संख्या	संघ का नाम और पता
107.	दि अन्नकापाली मर्चेंट्स एसोसिएशन, अन्नकापाली-531 001, विशाखा जिला (आंध्र प्रदेश)
108.	दि इंडियन चैम्बर ऑफ कामर्स, पी०बी० सं० 67, वीरसावरकर रोड, गुंटूर-522 001, आंध्र प्रदेश
109.	दि अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट चैम्बर आॅफ काॅमर्स एण्ड इंडस्ट्री, 24/10, गांधी बाजार, अनंतपुर-515 005
110.	दि हैदराबाद दाल मिल्स एण्ड मर्चेंट्स एसोसिएशन, 15-9-362, मुखतियारगंज, प्रथम तल, हैदराबाद-500 012
111.	विजयवाड़ा प्रचद ग्राम्स एण्ड दाल्स मर्चेंट्स एसोसिएशन, डी०सं० 11-42-81, द्वितीय तल, रामगोपाल स्ट्रीट, विजयवाड़ा-520 001, आंध्र प्रदेश
112.	ताजिमा भानु टूल्स लिमिटेड, 302, साज़ अपार्टमेन्ट्स, रोड सं० 1, बंजारा हिल्स, हैदराबाद-500 034, आंध्र प्रदेश
113.	दि राइस मर्चेंट्स एसोसिएशन, वेन्टूरीवारी स्ट्रीट, विजयवाड़ा।
114.	आंध्र प्रदेश राज्य नागरिक उपभोक्ता परिषद्, एच०सं० 60/2, आर०टी०, हैदराबाद-500 264, आंध्र प्रदेश।
115.	कनज्यूमर प्रोटेक्शन विंग, गजानान भवन, सखराम कीर रोड, मुम्बई।
116.	नेल्लाई वीया पारीगल संगम 2/47, 29 एस, पिन कोड-627 006
117.	अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत चांदनी महल, 601, बुद्धानर पेत, पुणे-411 002

ज्ञापन संख्या	संघ का नाम और पता
118.	व्यापारी संघ, पी॰ओ॰ नौगछिया, जिला भागलपुर, बिहार।
119.	कनज्यूमर गाइडेन्स सोसायटी ऑफ इंडिया, जे-ब्लॉक, आज़ाद मैदान, महापालिका मार्ग, कामा अस्पताल के सामने, मुम्बई-400 001
120.	कर्नाटक शूगर ट्रेडर्स एसोसिएशन (रजि॰) सं॰ 50, प्रथम तल, एस॰वी॰ मार्केट, बंगलौर-560 053
121.	प्रेमजी भांजी एण्ड कंपनी, 29, केशवजी नाईक रोड, पी॰ओ॰ बाक्स 5032, मुम्बई-400 009
122.	उपभोक्ता एण्ड इन्वेस्टर्स गाइडेन्स सोसायटी, पी-15, न्यू सी॰आई॰टी॰ रोड, तृतीय तल, कलकत्ता-700 073
123.	श्री एम॰एम॰ चट्टोपाध्याय, पश्चिम बंगाल सरकार खाद्य और आपूर्ति विभाग, 11 ए, मिर्ज़ा गालिब स्ट्रीट, कलकत्ता-700 087
124.	दि कृष्णा डिस्ट्रिक्ट दाल मिल्स एसोसिएशन (रजि॰) डी॰ सं॰ 10-19-17, ब्राह्मणी स्ट्रीट, विजयवाड़ा-520 001
125.	इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ, संयोगितागंज मंडी, इन्दौर,
126.	तिरूनेवेली मवात्ता वारतजे कलगम, नार्थ कापर स्ट्रीट, तिरूनेवेली-6
127.	बालकेदार वेदिका (रजि॰), उपभोक्ता मंच, 37(2), तार कार्यालय के समीप, जोग रोड, सागर, 577 401, कर्नाटक।

ज्ञापन संख्या	संघ का नाम और पता
128.	श्री डी रुद्र, पश्चिम बंगाल सरकार, खाद्य और आपूर्ति विभाग, 11 ए-मिर्जा गालिब स्ट्रीट, कलकत्ता-700 087
129.	बिहार राज्य खाद्यान संघ, 2, सूर्य बिहार अपार्टमेन्ट्स, एक्जिबीशन रोड, पटना-800 001
130.	राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, राजस्थान चैम्बर भवन, एम-I रोड, जयपुर-302 003
131.	कनज्यूमर केयर सेंटर, 3-5-273, मितुलवादी, नारायणगुड, हैदराबाद-500 029
132.	इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर, इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर मार्ग, चर्चगेट, मुम्बई-400 020
133.	कलकत्ता चैम्बर ऑफ कॉमर्स, 18, एच, पार्क स्ट्रीट, स्टीफन्स कोर्ट, कलकत्ता-700 071
134.	वेस्ट दिनाजपुर, चैम्बर ऑफ कॉमर्स पी॰ओ॰ रायगंज, जिला उत्तर दिनाजपुर (पश्चिम बंगाल)-733 134
135.	दि बंगलौर ए॰पी॰एम॰सी॰ यार्ड मर्चेंट्स एसोसिएशन सं॰ 104 (अपस्टेयर), चार मेन रोड, ए॰पी॰एम॰सी॰ यार्ड, यशवंतपुर, बंगलौर-560 022
136.	फेडरेशन ऑफ कनज्यूमर एसोसिएशन्स, पश्चिम बंगाल, 39, शेक्सपियर सरानी, कलकत्ता-700 017
137.	ऑल इंडिया कैरोसीन डीलर्स फेडरेशन, बी-32, ग्रेटर कैलाश-एक, नई दिल्ली-110 048

ज्ञापन संख्या	संघ का नाम और पता
138.	महाराष्ट्र सरकार, खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मंत्रालय सौध, मुम्बई-400 032
139.	दि फेडरेशन ऑफ आंध्र प्रदेश चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री, फेडरेशन हाउस, 11-6-841, रेड हिल्स, पी.बी. सं॰ 14, हैदराबाद-500 004

परिशिष्ट चार

(देखिए प्रतिवेदन का पैरा 13)

उन साक्षियों की सूची जिन्होंने संयुक्त समिति के समक्ष मौखिक साक्ष्य दिया

1. ''एसोचेम'', दि एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

(एक) श्री मोहन लाल गुप्ता, सह-चेयरमैन
आंतरिक व्यापार और उपभोक्ता मामलों संबंधी विशेषज्ञ समिति

(दो) डा॰ टी॰ पी॰ भट्ट, सलाहकार,
अंतर्राष्ट्रीय मामले

2. पी॰एच॰डी॰ चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, नई दिल्ली

(एक) श्री एम॰ एम॰ अग्रवाल
(दो) श्री विनीत वरमानी, भूतपूर्व प्रेजीडेंट,
पी॰एच॰डी॰सी॰सी॰आई
(तीन) श्री एस॰ कपूर, सचिव, पी॰एच॰डी॰सी॰सी॰आई॰

3. आल इंडिया राइस एक्सपोटर्स एसोसिएशन, नई दिल्ली

(एक) श्री पदन चंद गुप्ता
(दो) श्री कीर्ति दवेर
(तीन) ब्रिगेडियर अनिल अदलखा

4. फेडरेशन ऑफ आल इंडिया फूडग्रेन डीलर्स एसोसिएशन, दिल्ली

(एक) श्री ओ॰ एम॰ प्रकाश गुप्ता, महासचिव, दिल्ली
(दो) श्री ए॰ पी॰ वोरा, सचिव, मुम्बई
(तीन) श्री हसमुख एफ॰ दानी, प्रेजीडेंट, वदोदरा
(चार) श्री श्याम सुंदर, प्रेजीडेंट, दिल्ली
(पांच) श्री बाबू लाल गुप्ता, महासचिव, जयपुर
(छह) श्री बाबू लाल मणि लाल मोदी, संयुक्त सचिव, अहमदाबाद
(सात) श्री एस॰वी॰एस॰ सुन्दरामूर्ति, भूतपूर्व प्रेजीडेंट, मदुरई
(आठ) श्री धर्म सिंह, सदस्य, दिल्ली।

5. ''डिवोटा'', दिल्ली वेजीटेबल ऑयल ट्रेडर्स एसोसिएशन (रजि॰) दिल्ली

(एक) श्री लक्ष्मी चंद अग्रवाल—प्रेजीडेंट
(दो) श्री रमेश कुमार जैन—सदस्य
(तीन) श्री मुन्ना लाल गोयल

6. ''नाग''—विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स, नागपुर

(एक) श्री सुरेश भोजवानी
(दो) श्री बी॰सी॰ भारतीय—मानद सचिव

7. आंल इंडिया केरोसीन डीलर्स फेडरेशन

(एक) श्री एस॰ पदम रेड्डी, प्रेजीडेंट
(दो) श्री रामजी दुबे, महासचिव
(तीन) श्री के॰ एन॰ केदार, उपाध्यक्ष

परिशिष्ट पांच

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998 संबंधी संयुक्त समिति की बैठकों का कार्यवाही सारांश

एक

पहली बैठक

समिति की बैठक शुक्रवार, 28 अगस्त, 1998 को 15.00 बजे से 15.45 बजे तक समिति कमरा संख्या "ख", संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री श्याम बिहारी मिश्र—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अमरीक सिंह आलीवाल
3. श्री एन० डेनिस
4. श्री अब्दुल गफूर
5. श्री सत्य पाल जैन
6. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल
7. प्रो० अजित कुमार मेहता
8. श्री एस० मुरूगेसन
9. श्री हरिन पाठक
10. श्रीमती सूर्यकांता पाटील
11. प्रो० ए० के० प्रेमाजम
12. श्री एम० राजैया
13. श्री कोनिजेटी रोसैया
14. श्री किशन सिंह सांगवान
15. श्री मोहन सिंह
16. श्री के०डी० सुल्तानपुरी
17. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी

राज्य सभा

18. श्री अदिक शिरोडकर
19. श्री भुवनेश चतुर्वेदी
20. श्री एम० शंकरलिंगम
21. कुमारी निर्मला देशपांडे
22. श्री अशोक मित्रा
23. श्री गया सिंह

सचिवालय

1. श्री राम अवतार राम—निदेशक
2. श्री बी०डी० स्वैन—अवर सचिव

आरंभ में, आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998 संबंधी संयुक्त समिति के सभापति ने संयुक्त समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उद्घाटन भाषण दिया (अनुबंध-एक)।

2. तत्पश्चात् सभापति ने समिति के आगामी कार्यक्रम को निर्धारित करने के लिए सदस्यों से विधेयक के संबंध में सुझाव मांगे। सदस्यों ने निम्नलिखित सुझाव दियेः—

(एक) खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय को संक्षिप्त जानकारी के लिए समिति की अगली बैठक में आमंत्रित किया जाए; (दो) समिति विधेयक के उपबंधों के संबंध में उपभोक्ता मंचों और व्यापारिक एसोसिएशनों के विचारों को सुने; (तीन) सदस्यों

की जानकारी के लिए देश के बड़े राज्यों में 1955 के अधिनियम के कार्यान्वित की स्थिति के संबंध में मंत्रालय से सूचना मांगी जाए; (चार) सदस्यों की जानकारी के लिए सचिवालय विधेयक से संबंधित कुछ प्रश्नावली तैयार करे उनके उत्तर के लिए इसे उपभोक्ता एसोसिएशन को भेजे; (पांच) बार एसोशिएशनों और अधिवक्ता मंचों के लिए विचार भी लिए जाएं; (छः) समिति देश के विभिन्न राज्यों की उपभोक्ता समितियों के विचारों को जानने के लिए उनकी राजधानियों में अध्ययन दौरे करें; (सात) न्यायालयों में विचारण के दौरान लोक अभियोजकों द्वारा सामना की गई समस्याओं के संबंध में उनके विचार भी लिये जाएं; (आठ) सदस्य अपने राज्यों के उपभोक्ता मंचों यदि कोई है, के नाम और पते दें ताकि सचिवालय द्वारा उनके विचार भी प्राप्त किए जा सकें; और (नौ) इस संबंध में हुई मुख्यमंत्रियों की अंतिम बैठक में मुख्यमंत्रियो द्वारा दिए गए सुझावों को खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय से प्राप्त किया जाए।

3. समिति ने खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय से संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने के लिए अपनी अगली बैठक 22 सितम्बर, 1998 को 15.00 बजे आयोजित करने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुबंध एक

(देखिये 28.8.1998 के कार्यवाही सारांश का पैरा 1)

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998 संबंधी संयुक्त समिति

संयुक्त समिति की 28 अगस्त, 1998 को होने वाली आरंभिक बैठक में सभापति का स्वागत भाषण

आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक 1998 संबंधी संयुक्त समिति की पहली बैठक में माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। इस विधेयक का प्रयोजन आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 में और संशोधन करना है। 25 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश, 1998 को प्रतिस्थापित करने के लिए यह विधेयक 29 मई, 1998 को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया था।

2. आवशयक वस्तु अधिनियम, 1955 उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की आसानी से उपलब्धता सुनिश्चित करने और उन्हें व्यापारियों के शोषण से बचाने के लिए बनाया गया था। इस अधिनियम में आवश्यक घोषित की गई वस्तुओं के उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण के विनियमन और नियंत्रण के लिए उपबंध किया गया है। इसके उपबंधों को और प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर इस अधिनियम में संशोधन किया जाता रहा है।

3. जैसा कि आप आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998 के साथ संलग्न उद्देश्यों और कारणों के विवरण में देखेंगे, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के विद्यमान उपबंध, आवश्यक वस्तुओं से संबंधित सभी मामलों के शीघ्र निपटारे; निम्न क्षेत्र कृत्यकारियों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग किए जाने से रोकने; उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं को आसानी से उपलब्धता को सुनिश्चित करने; जब स्टाक में छोटे-मोटे अंतर होते हैं तब व्यापारियों की उचित कठिनाईयों को दूर करने; और उदारीकरण के रास्ते पर चलने के लिए पर्याप्त और प्रभावी नहीं है।

4. उपरोक्त कमियों को दूर करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1998 में प्रस्ताव किया गया है कि अधिनियम के अधीन सभी अपराधों के मामलों पर आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 के उपबंधों के अधीन पहले से स्थापित विशेष न्यायालयों द्वारा संक्षिप्त रीति से विचारण किया जाएगा। विधेयक के खंड 9 में इस अधिनियम के अन्तर्गत सभी अपराधों के संबंध में संक्षिप्त रूप से विचारण हेतु राज्य सरकारों द्वारा विशेष न्यायालय के गठन की व्यवस्था है। कतिपय छोटे अपराधों के सिवाय, सभी अपराध अजमानतीय होंगे। जुर्माने की रकम अधिक होगी किन्तु कारावास की अधिकतम अवधि सात वर्ष से घटाकर दो वर्ष करने का प्रस्ताव है। निम्न क्षेत्र कृत्यकारियों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग को कम करने हेतु उन्हें प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहन करने से पूर्व प्रथम श्रेणी से अनिम्न पंक्ति के मजिस्ट्रेट या उसके समतुल्य किसी अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी होगी। इसी प्रकार पुलिस उपनिरीक्षक की पंक्ति से अनिम्न का कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने वाले किसी अभियुक्त व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं करेगा।

5. आवश्यक वस्तुओं के निपटान में विलंब को समाप्त करने और उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विधेयक के खंड 4 में यह प्रावधान किया गया है कि अभिगृहित आवश्यक वस्तुओं को कलेक्टर द्वारा उचित कीमत की दुकानों के माध्यम से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा नियत कीमत पर बेचा जा सकेगा। व्यापारियों के विरुद्ध स्टाकों में छोटी-मोटी भिन्नता के लिए कार्रवाई रोकने हेतु विधेयक के खंड 3(दो) में आवश्यक वस्तु के वास्तविक स्टाक और अभिलेख पर स्टाक में अंतर के लिए जो जलवायु की दशाओं या आवश्यक वस्तुओं के हथालने के कारण हो सकेगा, कतिपय छूट का उपबंध है। इस विधेयक में, मोटर-यानों के संघटक पुर्जों तथा उपसाधनों को, संघटक पुर्जों के अनुज्ञप्ति से मुक्त होने तथा देश से इस उद्योग के काफी विकसित होने के कारण, आवश्यक वस्तु की परिभाषा से निकालने का प्रस्ताव है।

6. माननीय सदस्यों को मालूम ही होगा कि 29 मई, 1998 को संसद में विधेयक के पुरःस्थापन के दौरान विधेयक के प्रभारी मंत्री श्री सुरजीत सिंह बरनाला ने विधेयक में संशोधन की अपनी सूचना में प्रस्ताव किया था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत सभी दंडनीय अपराध संज्ञेय और जमानती होंगे। इस संबंध में विधेयक के विद्यमान उपबंध में यह व्यवस्था है कि कतिपय छोटे अपराधों के सिवाय सभी अपराध अजमानतीय होंगे। सभा द्वारा समिति को सौंपा गया यह विधेयक विचार करने और उस पर सभा को प्रतिवेदन देने के लिए अब इस माननीय समिति के समक्ष है।

7. इस समिति के गठन की शर्त के अनुसार, समिति का प्रतिवेदन आगामी सत्र, 1998 के पहले सप्ताह के अंतिम दिन सभा में प्रस्तुत किया जाना है। अतः मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर समिति की बैठकों में भाग लें। ताकि हमारे सामूहिक प्रयास अधिक प्रभावी एवं उद्देश्यपूर्ण हों और समिति निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत कर सके।

8. मुझे आशा है कि संयुक्त समिति में हमारे प्रतिष्ठित साथियों के सहयोग से हम, हमें सौंपे गये कार्य को पूरा कर सकेंगे। इस संबंध में माननीय सदस्यों के मूल्यवान सुझावों का स्वागत करता हूं। यदि कोई सदस्य इस दौरान कोई सुझाव देना चाहता है तो इसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं।

धन्यवाद।

दो

दूसरी बैठक

समिति की बैठक मंगलवार 22 सितम्बर, 1998 को समिति कमरा "ख" संसदीय सौध, नई दिल्ली में 15.00 बजे से 17.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री श्याम बिहारी मिश्र —सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एन० डेनिस
3. श्री सत्य पाल जैन
4. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल
5. श्री भुवनेश्वर कलिता
6. श्री विजय कुमार खण्डेलवाल
7. परो० अजीत कुमार मेहता
8. श्री एस० मुरूगेसन
9. श्री हरिन पाठक
10. श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील
11. प्रो० ए० के० प्रेमाजम
12. श्री मलयाला राजैया
13. श्री कोनिजेटी रोसैया
14. श्री किशन सिंह सांगवान
15. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी

राज्य सभा

16. श्री संघ प्रिय गौतम
17. श्री वेदप्रकाश पी० गोयल
18. श्री अधिक शिरोडकर
19. श्री एम० शंकरलिंगम
20. कुमारी निर्मला देशपाण्डे
21. श्री गया सिंह

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री एन०एन० मुखर्जी — सचिव
2. श्री कमल किशोर — आर्थिक सलाहकार
3. श्री जतिन्द्रवीर सिंह — निदेशक
4. श्री के०वी०एस० राव — अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री एन०एल० मीणा — संयुक्त सचिव और विधायी परिषद

सचिवालय

1. श्री राम अवतार राम — निदेशक
2. श्री बी०डी० स्वैन — अवर सचिव

2. सर्वप्रथम आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998 संबंधी संयुक्त समिति के सभापति ने खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात् खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सचिव ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और आवश्यक वस्तु (विशेष

उपबंध) अधिनियम, 1981 के विभिन्न उपबंधों तथा विशेष उपबंध अधिनियम, 1981 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998 के बीच अंतर के बारे में समिति के सदस्यों को संक्षिप्त जानकारी दी तथा साथ ही 1955 के अधिनियम और अधिनियम, 1981 में की गई विशेष उपबंधों की तुलना में वर्तमान विधेयक में किए गए सुधारों के बारे में भी बताया। समिति ने खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय को पूर्व में भेजे गए प्रश्नावली के आधार पर मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तरों के आधार पर खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय के प्रतिनिधियों से कतिपय मुद्दों पर और स्पष्टीकरण मांगा।

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड भी रखा गया।

4. खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय तथा विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा साक्ष्य देकर चले जाने के बाद समिति ने सम्बद्ध राज्य सरकारों, व्यापारियों के संघों, उपभोक्ता फोरम, उद्योगपतियों के संघों, राज्य अधिवक्ता परिषद आदि से उनके विचार जानने के लिए अक्तूबर, 1998 के अंतिम सप्ताह में मुम्बई, कलकत्ता, हैदराबाद और बंगलौर का अध्ययन दौरा करने का निर्णय लिया।

5. तपश्चात् समिति ने विधेयक के उपबंधों पर विभिन्न व्यापारिक संघों, उपभोक्ता फोरमों, औद्योगिक संघों आदि के विचार जानने के लिए 5 अक्तूबर, 1998 को 15.00 बजे अपनी अगली बैठक करने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

तीन

तीसरी बैठक

समिति की बैठक मंगलवार, 5 अक्तूबर, 1998 को 15.00 बजे से 17.30 बजे तक समिति कक्ष "ख" संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री श्याम बिहारी मिश्र —सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री अब्दुल गफूर
3. श्री सत्य पाल जैन
4. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल
5. श्री विजय कुमार खण्डेलवाल
6. प्रो॰ अजित कुमार मेहता
7. श्री एस॰ मुरुगेसन
8. श्री हरिन पाठक
9. श्री कोनिजेटी रोसैया
10. श्री मोहन सिंह
11. श्री के॰डी॰ सुल्तानपुरी
12. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी

राज्य सभा

13. श्री वेदप्रकाश पी॰ गोयल
14. श्री भुवनेश चतुर्वेदी
15. श्री एम॰ शंकर लिंगम
16. कुमारी निर्मला देशपाण्डे
17. श्री अशोक मित्रा
18. श्री गया सिंह

सचिवालय

1. श्री राम अवतार राम — निदेशक
2. श्री बी॰डी॰ स्वैन — अवर सचिव

आरम्भ में आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998 संबंधी संयुक्त समिति के सभापति ने विभिन्न व्यापारी संघों / उपभोक्ता मंचों / औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया।

तत्पश्चात् समिति ने निम्नलिखित व्यापारी संघों / उपभोक्ता मंचों / औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

1. एसोचैम, द एसोसिएटिड चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज आफ इंडिया, नई दिल्ली

    (एक) श्री मोहन लाल गुप्ता — सह-अध्यक्ष, आंतरिक व्यापार और उपभोक्ता मामलों संबंधी विशेषज्ञ समिति

    (दो) डा॰ टी॰पी॰ भट्ट — सलाहकार, अंतर्राष्ट्रीय मामले

2. पीएचडी चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री, नई दिल्ली

    (एक) श्री एम॰एम॰ अग्रवाल

    (दो) श्री विनीत विरमानी — पूर्व अध्यक्ष, पीएचडीसीसीआई

    (तीन) श्री एस॰ कपूर — सचिव, पीएचडीसीसीआई

3. अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ, नई दिल्ली

(एक) श्री पदम चन्द गुप्ता

(दो) श्री कीर्ति डावर

(तीन) ब्रिगेडियर अनिल अदलखा

4. अखिल भारतीय अनाज व्यापारी संघों का परिसंघ, दिल्ली

(एक) श्री ओ॰एम॰ प्रकाश गुप्ता — महासचिव, दिल्ली

(दो) श्री ए॰पी॰ वोरा — सचिव, मुम्बई

(तीन) श्री हसमुख एफ॰ दानी — अध्यक्ष, वडोदरा

(चार) श्री श्याम सुन्दर — अध्यक्ष, दिल्ली

(पांच) श्री बाबू लाल गुप्ता — महासचिव, जयपुर

(छः) श्री बाबू लाल मणिलाल मोदी — संयुक्त सचिव, अमहदाबाद

(सात) श्री एस॰ वी॰ एस॰ सुंदरमूर्ति, — पूर्व अध्यक्ष, मदुराई

(आठ) श्री धर्म सिंह — सदस्य, दिल्ली

5. डिवोटा, दिल्ली वनस्पति तेल व्यापारी संघ (पंजीकृत), दिल्ली

(एक) श्री लक्ष्मी चन्द अग्रवाल—अध्यक्ष

(दो) श्री रमेश कुमार जैन—सदस्य

(तीन) श्री मुन्ना लाल गोयल

6. नाग-विदर्भ वाणिज्य मंडल, नागपुर

(एक) श्री सुरेश भोजवानी

(दो) श्री बी॰सी॰ भारतीय—माननीय सचिव

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

चार

चौथी बैठक

समिति की बैठक गुरुवार, 26 नवम्बर, 1998 को समिति कक्ष "ख", संसदीय सौध, नई दिल्ली में 15.00 बजे से 16.30 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री श्याम बिहारी मिश्र—सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एन० डेनिस
3. श्री अब्दुल गफूर
4. श्री भुवनेश्वर कालिता
5. प्रो० अजित कुमार मेहता
6. श्री एस० मुरुगेसन
7. प्रो० ए० के० प्रेमाजम
8. श्री किशन सिंह सांगवान
9. श्री के० डी० सुल्तानपुरी
10. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी

राज्य सभा

11. श्री संघ प्रिय गौतम
12. श्री वेदप्रकाश पी० गोयल
13. श्री भुवनेश चतुर्वेदी
14. कुमारी निर्मला देशपांडे
15. श्री अशोक मित्रा
16. श्री गया सिंह

सचिवालय

1. श्री जी०सी० मल्होत्रा — अपर सचिव
2. श्री राम अवतार राम — निदेशक
3. श्री बी०डी० स्वैन — अवर सचिव

आरंभ में समिति ने अब तक किये गये कार्य पर विचार किया। समिति को 1998 के अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अंतिम दिन सभा में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना था। समिति ने बजट सत्र, 1999 के भाग-एक के अंतिम सप्ताह के आखिरी दिन तक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिए समय-सीमा के बढ़ाये जाने की मांग करने का निर्णय लिया।

2. तत्पश्चात् समिति ने ऑल इंडिया केरोसिन डीलर्स फेडरेशन के विचारों को सुना। संगठन का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित प्रतिनिधियों ने किया:—

(एक) श्री एस० पद्मा रेड्डी,
अध्यक्ष

(दो) श्री रामजी दुबे,
महासचिव

(तीन) श्री के०एन० केदार,
उपाध्यक्ष

कार्यवाही का शब्दशः रिकार्ड रखा गया है।

3. तत्पश्चात् समिति ने 11 दिसम्बर, 1998 को दोबारा बैठक करने का निर्णय लिया।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

पाँच

पांचवीं बैठक

समिति की बैठक 1 दिसम्बर, 1998 को 15.00 बजे से 16.00 बजे तक समिति कक्ष "ख", संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री श्याम बिहारी मिश्र — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री एन० डेनिस
3. श्री सत्य पाल जैन
4. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल
5. श्री विजय कुमार खंडेलवाल
6. प्रो० अजित कुमार मेहता
7. प्रो० एन०के० प्रेमाजम
8. श्री के०डी० सुल्तानपुरी

राज्य सभा

9. श्री वेदप्रकाश पी० गोयल
10. श्री आधिक शिरोडकर
11. श्री अशोक मित्रा
12. श्री गया सिंह

सचिवालय

1. श्री राम अवतार राम — निदेशक
2. श्री बी० डी० स्वैन — अवर सचिव

व्यापक चर्चा के उपरान्त समिति ने निर्णय लिया कि कार्यक्रमानुसार (अनुबंध) अपना कार्य शुरू किया जाये और प्रतिवेदन को पूरा कर उसे 1998 के इसी शीतकालीन सत्र में ही प्रस्तुत कर दिया जाये जिसके लिये समय बढ़ाने की मांग किये जाने का निर्णय लिया गया था। कार्यक्रमानुसार समिति की अगली बैठक सोमवार, 7 दिसम्बर, 1998 को करने का निर्णय लिया गया है जिसमें विधेयक पर खंण्ड-वार विचार किया जाएगा। अतः, सदस्यों को संशोधनों की सूचना देने हेतु निर्धारित 1 से 3 दिसम्बर, 1998 तक की समयावधि को 4 दिसम्बर, 1998 के अपराह्न 1700 बजे तक बढ़ा दिया गया है।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

कार्यक्रम

तिथि	कार्यक्रम
1.2.98 (मंगलवार)	प्रतिवेदन शीघ्र प्रस्तुत किए जाने हेतु सदस्यों को राजी करने के लिए विशेष रूप से संयुक्त समिति की बुलायी गई बैठक।
2.12.98 से 4.12.98	सदस्य द्वारा संशोधनों की सूचना देना।
4.12.98	संशोधनों की सूची का संग्रह करना तथा इसे सदस्यों को परिचालित किया जाना।
7.12.98	विधेयक पर खंड-वार विचार।
8.12.98 से 10.12.98	प्रारूप प्रतिवेदन तैयार करना तथा विधि मंत्रालय द्वारा संयुक्त समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित रूप में विधेयक तैयार करना।
11.12.98	प्रारूप प्रतिवेदन परिचालित करना।
14.12.98	प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार तथा उसे स्वीकृत करना।
15.12.98	सदस्यों द्वारा विमत टिप्पण देना, यदि कोई हो।
16.12.98	प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के दौरान समिति द्वारा विमत टिप्पणों/दिए गए अन्य सुझावों को जोड़े जाने के पश्चात् प्रतिवेदन को अंतिम रूप देना।
17.12.98	सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना।

छः
छठी बैठक

समिति की बैठक सोमवार, 7 दिसम्बर, 1998 को 15.00 बजे से 15.45 बजे तक समिति कक्ष "ई", संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री श्याम बिहारी मिश्र — सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सत्य पाल जैन
3. श्री शंकर प्रसाद जायसवाल
4. श्री भुवनेश्वर कालिता
5. श्री विजय कुमार खंडेलवाल
6. श्री एस० मुरुगेसन
7. प्रो० ए० के० प्रेमाजम
8. श्री कोनिजेटी रोसैया
9. श्री के०डी० सुल्तानपुरी

राज्य सभा

10. श्री वेदप्रकाश पी० गोयल
11. श्री आदिक शिरोडकर
12. श्री भुवनेश चतुर्वेदी
13. कुमारी निर्मला देशपांडे
14. श्री अशोक मित्रा
15. श्री गया सिंह

खाद्य तथा उपभोक्ता मामले मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) के प्रतिनिधि

1. श्री कमल किशोर — आर्थिक सलाहकार
2. श्री माखीजानी — अवर सचिव

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) के प्रतिनिधि

श्री एन०एल० मीणा — संयुक्त सचिव तथा विधायी सलाहकार

सचिवालय

1. श्री राम अवतार राम — निदेशक
2. श्री बी०डी० स्वैन — अवर सचिव

आरंभ में, समिति के सभापति ने सदस्यों का स्वागत किया तथा समिति द्वारा किए जाने वाले कार्य की संक्षिप्त जानकारी दी। किसी अन्य कार्य को शुरू करने से पूर्व समिति ने लोक सभा की 4.12.1998 की कार्यवाही पर जिसमें समय-सीमा को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया, पर विचार-विमर्श किया।

2. समिति ने नोट किया है कि सभा ने अपनी 4.12.1998 की बैठक में 1998 के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन तक अवधि बढ़ाने के उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है। इसके बजाय सभा ने केवल 9 दिसम्बर, 1998 तक समय बढ़ाया है। समिति ने महसूस किया कि विभिन्न लोगों से प्राप्त बहुत से सुझावों का अध्ययन करना, अपनी राय बनाना और निर्धारित अवधि में विधेयक में संशोधन करना कठिन है। समिति ने याद दिलाया कि सरकार ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था और यह निर्णय लिया था कि अधिनियम के उपबंधों को कड़ा बनाया जाये। समिति ने खाद्य और उपभोक्ता मामले के मंत्री द्वारा 4.12.1998 को सभा में दिए गए वक्तव्य पर भी गौर किया। जिसमें कहा गया है कि सरकार वर्तमान विधेयक के स्थान पर हाल ही में हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में दिये गये सुझावों/सिफारिशों के आधार पर इस विधेयक के स्थान पर और अधिक कठोर उपबंध वाला व्यापक विधेयक लाएगी। समिति ने महसूस किया कि व्यक्तियों, उपभोक्ता संगठनों, व्यापारी संघों, बार एसोसिएशनों और राज्य सरकारों से प्राप्त ज्ञापनों में अनेक उपयोगी और लाभकारी सुझाव दिये गये हैं, जो आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, 1998 में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों से संबंधित है। अतः समिति ने निर्णय लिया कि विधेयक को बिना सिफारिशों के इसी रूप में लौटा दिया जाये तथा रिपोर्ट को अंतिम रूप देने तथा उसे 9.12.1998 को सभा में प्रस्तुत करने के लिए सभापति को प्राधिकृत किया।

3. तथापि समिति ने यह भी तय किया कि समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्यों का रिकार्ड संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाए।

4. समिति ने यह भी निर्णय लिया कि विधेयक के उपबंधों के संबंध में समिति द्वारा प्राप्त की गई टिप्पणियों और सुझावों सहित ज्ञापनों के दो सैट संसद सदस्यों के उपयोग हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के पश्चात् संसद ग्रन्थालय में रखे जाएं।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

© 1998 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित तथा प्रबंधक, फोटोलिथो यूनिट, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।